न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 43 / 2022 **दायर तारीख 26.04.2022**

अनवान्

भंवरलाल पिता नगजीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

1. लाल सिंह पिता भीम सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. मूलचन्द पिता माधवलाल जाति व्यास उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. बलवंतसिंह पिता मोड़सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता वादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक:– 24 / 05/ **2023**

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** में अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1–3 जा0 दी0 में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते की भूमि मौजा ग्राम केशुविलास प0ह0 जावदा भू0अभि0 नि0 क्षैत्र बिजौलियां खुर्द स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या 126 पर अंकित आराजी संख्या 278 / 156 रकबा 5–00 बीघा, आराजी संख्या 279 / 156 रकबा 5–00 बीघा, कुल किता 2 रकबा 10–00 बीघा भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकारों से दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अभिलिखित खातेदार हैं। जिसे अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रह काश्त करने का पूर्ण अधिकार हैं। उक्त आराजी संख्या 278 / 156 रकबा 5–00 बीघा, आराजी संख्या 279 / 156 रकबा 5–00 बीघा, कुल किता 2 रकबा 10–00 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध कोई वास्ता नही हैं। उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर शनै शनै प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया गया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी भूमि से कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण लड़ाई झगडा करने पर आमादा हो गया। वादी ने दिनांक 06.05.2022 को विवादित आराजीयात की सीमा जानकारी हेतु पत्थरगढी करवाई तो तथ्य की जानकारी हुयी कि वादी की रकबा 10–00 बीघा भूमि में से 0–10 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 01. ने रकबा 0–10 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने 1–10 बीघा भुमि पर नाजायज कब्जा कर रखा हैं वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने बाबत कहा तो तैयार नही हुए और कब्जा भी नही सौपा एवं लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये। और पत्थरगढ़ी के जो मुटाम लगाये गये उनको भी प्रतिवादीगण ने उखाड़ दिये। तभी से वाद हेतुक उत्पन्न हो सतत् रूप से जारी हैं। वादी स्वयं की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी हैं साथ ही कब्जा प्राप्त होने तक लगान का 50 गुणा मुआवजा भी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। वादी ने अनुतोश चाहा कि मौजा ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा भू0अभि0 नि0 क्षैत्र बिजौलियां खुर्द स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या 126 पर अंकित आराजी संख्या 278 / 156 रकबा 5–00 बीघा, आराजी संख्या 279 / 156 रकबा 5–00 बीघा, कुल किता 2 रकबा 10–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण संख्या 01. ने रकबा 0–10 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने 1–10 बीघा भूमि का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादी को पुनः कब्जा सुपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादी को बार बार आवाज दिलायी गयी। प्रतिवादीगण गैर होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

वकील वादी ने नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 पेश की है जो **प्रदर्श– 1 हैं**, एवं पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 06.05.2022 पेश किया जो **प्रदर्श– 2** हैं।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी में स्वयं पी. डल्व्यू – 1 भंवरलाल. के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं। वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पी. डब्ल्यू – 1 भंवरलाल ने अपने बयान में लिखाया कि मौजा ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा भू0अ0नि0 बिजौलियां खुर्द आराजी संख्या 278/156 रकबा 5–00 बीघा, आराजी संख्या 279/156 रकबा 5–00 बीघा, कुल किता 2 रकबा 10–00 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। प्रार्थी ने उक्त विवादित आराजीयात की दिनांक 06.05.2022 को पत्थरगढी करायी जिसमें विपक्षीगण संख्या 1 ने 0–10 बीघा 2 व 3 ने 1–10 बीघा मुझ प्रार्थी की भूमि पर अवैध व नाजायज कब्जा कर रखा हैं विपक्षीगण संख्या 1, 2 व 3 का कब्जा हटाया जाकर मुझ प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया जावें।

प्रकरण में प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने बहस में अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया हैं। जमीन पर वादी का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की फोटो प्रति व भूमि वादी के स्वामित्व की होने के सम्बन्ध में जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2074–2077 से मौजा ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा भू0अ0नि0 बिजौलियां खुर्द आराजी संख्या 278/156 रकबा 5–00 बीघा, आराजी संख्या 279/156 रकबा 5–00 बीघा, कुल किता 2 रकबा 10–00 बीघा का खातेदार काश्तकार हैं। एवं पत्थरगढी के मौके पर्चे की नकल अनुसार वादी की मौजा ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा आराजी संख्या 278/156 रकबा 5–00 बीघा, आराजी संख्या 279/156 रकबा 5–00 बीघा, कुल किता 2 रकबा 10–00 बीघा भूमि में से 0–10 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण 01.ने व 1–10 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का अवैध कब्जा होने से उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 का कब्जा हटाया जाकर वादी को पुनः कब्जा सुपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध चाही हैं। जो उचित होकर प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाता हैं।

–:आदेशः–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा आराजी संख्या 278/156 रकबा 5–00 बीघा, आराजी संख्या 279/156 रकबा 5–00 बीघा, कुल किता 2 रकबा 10–00 बीघा भूमि में से 0–10 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण 01. को व 1–10 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण 02 व 03 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 24/05/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 43/2022 **दायर तारीख 26.04.2022**

अनवान्

भंवरलाल पिता नगजीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

1. लाल सिंह पिता भीम सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. मूलचन्द पिता माधवलाल जाति व्यास उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. बलवंतसिंह पिता मोड़सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 24/05/20 23
ड़िक्री दिनांक 24/05/20 23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री मुकेश कुमार धाकड़ अधिवक्ता वादी उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा आराजी संख्या 278/156 रकबा 5–00 बीघा, आराजी संख्या 279/156 रकबा 5–00 बीघा, कुल किता 2 रकबा 10–00 बीघा भूमि में से रकबा 0–10 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण 01. को एंव रकबा 1–10 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण 02 व 03 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

नीज ....**Nil**............................मुबलिग .... **Nil** ....बाबत् .... **Nil** ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... **Nil** ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... **Nil** ....का अदा करे।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 05 वर्ष 2023 को जारी की गयी।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

लगातार पेज संख्या 02 पर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर	—Nil—		फीस कमीश्नर	-Nil—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)